INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP84683547627171X

Certificate No.	:	IN-UP84683547627171X
Certificate Issued Date	:	12-Jun-2025 12:47 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14262504/ TAMKUHI RAJ/ UP-KSN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14262504660703312737 00X
Purchased by	:	Q R ED A S W S THROU AFTAB ANSARI SO NURALAM RIJWI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Q R ED A S W S THROU AFTAB ANSARI SO NURALAM RIJWI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	Q R ED A S W S THROU AFTAB ANSARI SO NURALAM RIJWI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	850 (Eight Hundred And Fifty only)

12/6/25

Please write or type below this line

न्यास–पत्र

हम कि **आफताब अंसारी पुत्र नूरआलम रिजवी,** साकिन 472, अम्बेडकर आवास योजना सेक्टर 56 परसोरा चण्डीगढ़, हालमुकाम बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0 9463169786, आधार संख्या 5740 7426 4254 है एवं स्थाई निवासी हूँ। हम मुकिर बच्चों के भविष्य को देखते हुए जनहित के कार्यो को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और समाज के आर्थिक

PF 0006147289

आवेदन सं०: 202500958007151

न्यास पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 36	वर्ष: 2025

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री आफताब अंसारी
पुत्र श्री नूरआलम रिजवी
व्यवसाय : कृषि
निवासी : ग्राम 472 अम्बेडकर [illegible] चंडीगढ़ हा०मु० ग्राम पोस्ट बिहार बुजुर्ग जि० कुशीनगर आ० 574074264254

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/06/2025 एवं 03:01:49 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वाईदुल्लाहि खां प्रभारी
उप निबंधक तमकुही राज
कुशीनगर
13/06/2025

सदाशिव मिश्र
निबंधक लिपिक
13/06/2025

कार्यालय उप निबंधक
तमकुहीराज जिला कुशीनगर

सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख शान्ति आपसी सदभाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था होने के साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों की उनकी योग्यताओं के अनुरुप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जावे। इस सोसाईटी के द्वारा हास्पीटल या मेडिकल क्लीनिक भी चलाया जा सकता है जनहित में उक्त प्रकार के कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान कर विभिन्न विद्याओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। जनहित में उक्त प्रकार के कार्यो के संचालन तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10,000/-(दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगें भी इस न्यास कोष के विभिन्न उपायों से धन, चल-अचल सम्पत्ति की व्यवस्था मैं करता रहूंगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **कादरिया रिजविया एजुकेशनल एण्ड सोशल**

आवेदन सं०: 202500958007151

बही स० 4 रजिस्ट्रेशन स०: 36 वर्ष 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री आफताब अंसारी, पुत्र श्री नूरआलम ऋजवी

निवासी: ग्राम 472 अम्बेडकर आवास योजना चंडीगढ़ हा०मु० ग्राम पोस्ट बिहार बुजुर्ग जि० कुशीनगर आ० 574074264254

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री स्वेतराज सिंह , पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह

निवासी: ग्राम अहिरौली राजा पोस्ट तमकुहीराज जिला कुशीनगर आ० 346614174711

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री रामप्रवेश , पुत्र श्री रामदत्त

निवासी: ग्राम पोस्ट बिहार बुजुर्ग जि० कुशीनगर आ० 319914996360

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वाईदुल्लाह , खां प्रभारी
उप निबंधक : तमकुही राज
कुशीनगर
13/06/2025

सदाशिव , मिश्र
निबंधक लिपिक कुशीनगर
13/06/2025

कार्यालय उप निबंधक तमकुहीराज जिला-कुशीनगर

वेलफेयर सोसाइटी पता **बिहार बुजुर्ग,** पोस्ट बिहार **बुजुर्ग,** थाना **तमकुहीराज,** तहसील **तमकुहीराज** जनपद **कुशीनगर उत्तर प्रदेश** होगा। जिसे इस न्यासपत्र में आगें ''न्यास'' या ''ट्रस्ट'' शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पता **बिहार बुजुर्ग,** पोस्ट **बिहार बुजुर्ग,** थाना **तमकुहीराज,** तहसील **तमकुहीराज** जनपद **कुशीनगर उत्तर प्रदेश** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा आवश्यकता होने पर भारत के बाहर भी नियमानुसार ट्रस्ट का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होगे तथा ट्रस्ट के महासचिव भी कहे जायेगें। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित किया जा रहा है। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टीयों की नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टीयों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट के स्थापना के समय

ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित हैः-

1. **आफताब अंसारी पुत्र नूरआलम रिजवी,** साकिन 472, अम्बेडकर आवास योजना सेक्टर 56 परसोरा चण्डीगढ़, हालमुकाम बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0 9463169786, आधार संख्या 5740 7426 4254 **चेयर मैन**

मैनेजरः-

2. नूर आलम रिजवी पुत्र आशमोहम्मद, साकिन फ्लैट नं0 95 पांचवा फ्लोर मितल पैराडाईज सेक्टर 127 खरड, मोहाली पंजाब हालमुकाम बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0................, आधार संख्या 2415 0609 0919 **अध्यक्ष**
3. रूकसाना खातून पत्नी नूरआलम रिवजी साकिन फ्लैट नं0 95 पांचवा फ्लोर मितल पैराडाईज सेक्टर 127 खरड, मोहाली पंजाब हालमुकाम बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0................, आधार संख्या 7065 3383 7210 **मैनेजर**
4. हिमांशू शेखर जेना पुत्र हरेकृष्ण जेना साकिन बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0................, आधार संख्या 7444 9433 1201 **मिडिया प्रभारी**
5. मुस्कान पुत्री नूरआलम रिजवी साकिन बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज,

Afftab Ansari

तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0................, आधार संख्या 6737 7161 6402 **एकाऊण्टेट**

6. आर्यन पुत्र नूरआलम रिजवी साकिन बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0................, आधार संख्या 2056 0079 3523 **एकाऊण्टेट**
7. सुमित्रा जेनार पत्नी हिमांशू शेखर जेना साकिन रम्पा जजापुर बारी कटक उड़ीसा मो0नं0............ ...., आधार संख्या 3593 3132 2972 **मेम्बर**
8. प्रमोद गुप्ता पुत्र नगीना गुप्ता साकिन फ्लैट नं0 95 पांचवा फ्लोर मितल पैराडाईज सेक्टर 127 खरड, मोहाली पंजाब हालमुकाम बिहार बुजुर्ग पोस्ट बिहार बुजुर्ग, थाना तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश मो0नं0................, आधार संख्या 9911 1483 4035 **मेम्बर**
9. संजय कुमार पुत्र अच्छेलाल, साकिन 667 सेक्टर 20 पंचकुला हरियाणा 134116 मेम्बर

यह कि हम मुकिर द्वारा **कादरिया रिजविया एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी** पता **बिहार बुजुर्ग,** पोस्ट **बिहार बुजुर्ग,** थाना **तमकुहीराज,** तहसील **तमकुहीराज** जनपद **कुशीनगर उत्तर प्रदेश** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। उसके स्थापना में मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्य सम्पन्न करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और जनसामान्य को शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाते हुए प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को देश विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. स्वास्थ्य, मनोरंजन व आम जागरूकता के लिए शार्ट मुवी, वेब सिरिज, विडियोज आदि फिल्मों का निर्माण करना तथा गायन, वाद्यय संस्थाओं की स्थापना।
4. बच्चों, युवकों एवं युवतियों को सुविधापूर्ण ढंग से उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी एवं विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर उनके सामाजिक उन्नयन हेतु शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं समाज कार्य के विभिन्न कार्यो को सम्पन्न कर शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को उॅचा उठाना।
5. छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, मदरसा, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (10+2) व स्नातक, स्नात्कोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों व नई शिक्षा निति 2020 की स्थापना कर उनका संचालन करना।
6. शिक्षा प्रचार-प्रसार/उन्नयन हेतु देश के किसी क्षेत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक की सामान्य शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, गैर तकनीकी

शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

7. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक ट्रेनिंग के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) का संचालन कर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेटिंग, स्क्रनिंग पेंटिंग, इलेक्ट्रानिंग, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियों व टी0वी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग, कम्प्यूटर, फाईन आर्ट, संगीत, कुकिंग/बेकरी, मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाईटिंग प्रशिक्षण, मोटर वाहन ड्राईविंग प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, खेल मैदान, जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

8. पत्र–पत्रिकाओं का संकलन सम्पादन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, मतदाता जगरुकता कार्यक्रम करना, स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन, वृक्षारोपड़ आदि के जरिए प्रदूषण मुक्ति का कार्य करना।

9. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

10. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरुकता /प्रशिक्षण की सुविधा के साथ–साथ कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

11. एड्स, कैंसर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियों, इन्सेफलाईटिस,हेपेटाईटिस जैसे रोगों की रोकथाम /नियंत्रण/जागरुकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु मण्डल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य पैरा मेडिकल कालेज महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, नर्सिंग होम व चिकित्सालय की स्थापना करना।

12. समाज के सामुदायिक विकास, सम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति व राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरुक करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।

13. खाद्य प्रस्संकरण तथा फल संरक्षण को प्रशिक्षण करना।

14. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेलकूद आदि का आयोजन करना।

15. विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की लोकहित में स्थापना करना, कृषि व बागवानी कार्य कराना।

16. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों, शारीरिक अथवा मानसिक रुप से विकलांग लोगों को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा इस हेतु विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करना।

17. अन्धे, गूगें, बहरे अथवा किसी भी अंग-भंग की स्थिति में विकलांग हेतु व्यक्तियों के विकास एवं सहयोग हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके पूर्नवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में विधिपूर्ण कार्यो को सम्पन्न करने के साथ ही साथ महिला संरक्षण गृह/विधवा पूर्नवास केन्द्र की स्थापना करना।

18. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकता अनुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था कर स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

19. सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राईवेट खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपड़, औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले मेडिसिनल प्लान्ट व आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपड़ करना।

20. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम् सुविधायुक्त प्रशिक्षण हाल की स्थापना कर विभिन्न प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित करना।

21. गौ सेवा से सम्बन्धित कार्यो का संचालन करना गौ रक्षा हेतु गौशालाओं की स्थापना करना तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना गौ से प्राप्त उत्पाद व वितरण करना और इससे जनहितकारी औषधियों के निर्माण हेतु इकाईयो का लगान तथा गौ चारागाहों की स्थापना व उनका संचालन करना।

22. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा इसके लिए युवाओं को

प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षण एवं साधन सम्पन्न करना।

23. सामुहिक विवाह, सामुहिक भोज को बढ़ावा देना तथा विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना।

24. विभिन्न प्रकार के खले जैसे जिम्नास्टिक, जूडों कराटे, कबड्डी तथा अन्य ग्रामीण खोलों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रशिक्षण/प्रतियोगिता करना।

25. सरकारी की सहायता से गॉवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली सड़क, खडण्जा, पीच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

26. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत करना।

27. पंचायती राज, उपभोक्ता संरक्षण एवं मोटर वाहन अधिनियम व पारिवारिक विधि के बारे में जानकारी तथा अन्य जानकारी एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउंसलिग केन्द्रों के स्थापना एवं प्रबन्धन कर महिलाओं तथा गरीब व पिछडे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना।

28. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित कर अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना तथा उनके क्रिया कलापों में सहयोग देना।

29. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकान से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना।

30. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

31. किसी भी व्यक्ति से दान लेना तथा उसे ट्रस्ट के द्वारा खर्च करना आदि।

ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्यः-

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व ट्रस्ओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं इसके विभिन्न इकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना कर इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु संचालन के लिए सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सत्त प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. ट्रस्ट के स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यकत कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना, उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्त्तिों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागों के दान, विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पिक कार्यो को करना।

11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80 जी0जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

12. ट्रस्ट के द्वारा संचालित/शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा आवश्यक होने पर उनके साधारण सभा का गठन करना।

13.ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी /गैर तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/ परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्थाः-

(क). ट्रस्ट का गठन एवं संचालन

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः-

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं महासचिव हम मुकिर होगें। मुख्य ट्रस्टी के न रहने पर हम में से योग्य एवं ट्रस्ट मण्डल के द्वारा ट्रस्ट बहुमत के आधार पर मुख्य ट्रस्टी का चयन किया जायेगा।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी का कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्ट मण्डल के बहुमत के आधार पर मुख्य ट्रस्टी का चयन होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के चेयरमैन, मिडिया प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही

सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देखरेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुए रिक्त की पूर्ति ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हे सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार के ट्रस्ट से पृथक नही किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक अथवा इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था या विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानों के प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन देने करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्ट इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. ट्रस्ट के कार्यो के लिए किये गये खर्च व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख). ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः–

1. ट्रस्ट मण्डल का वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थओं/समितियों संस्थाओं /समितियों के प्रबन्ध/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 7 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी के पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बचत निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फेसला अन्तिम होगा।

10. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/महासचिव एव अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना। ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर

पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

2. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों के कार्यो का विभाजन करना और समय-समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों का सौपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
3. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
4. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
5. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
6. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित कर उसकी सूचना ट्रस्टीगण को देना।
7. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट मण्डल के समक्ष रखना।
8. ट्रस्ट की ओर से समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
9. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियों में ट्रस्ट की पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
10. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के समस्त कार्यो को करना।

11. ट्रस्ट के आय–व्यय की रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक के ट्रस्ट के आय–व्यय का लेख परीक्षण करना।

12. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख रखाव करना।

11. ट्रस्ट का कोष की व्यवस्थाः–

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्ति अधिसूचना बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋणराशियॉ निहित होगी। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

12. ट्रस्ट के अभिलेखः–

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा मुख्य रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखें का रजिस्टर आदि रखा जायेगा।

13. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्थाः–ट्रस्ट के सम्पत्तियों की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होगें।

2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेगे या किसी चल या अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण व विक्रय करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगें।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
4. ट्रस्ट व उसके संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न हाने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धक व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट के निहित रहेगी।
6. ट्रस्ट के लेखापरीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु

वैधानिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति के साथ ही साथ ट्रस्ट मण्डल के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बजाय भी यह शर्त लागू होगी।

10. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

11. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

12. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

13. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

14. उक्त शर्तो में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

घोषणा

कादरिया रिजविया एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी पता **बिहार बुजुर्ग,** पोस्ट **बिहार बुजुर्ग,** थाना **तमकुहीराज,** तहसील **तमकुहीराज** जनपद **कुशीनगर उत्तर प्रदेश** की तरफ से हम आफ़ताब अंसारी...... मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि न्यास का विधिवत गठन हो सके। यह भी घोषणा करता हूँ कि ट्रस्ट पंजीकरण के समय तक इस न्यास विलेख में उल्लिखित 10,000/–रूपये की धनराशि के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई अन्य सम्पत्ति नही है।

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी

ड्राफ्टकर्ता

सुधीर कुमार गुप्ता एडवोकेट
रजिस्ट्रेशन नम्बर 0828/2023

12-06-2025

12/06/2025

दिनाँक-12.06.2025

नोटः-

1. चयेरमैन आफताब अंसारी पुत्र नूरआलम रिजवी का कार्य कमेटी को सलाह देना व बैंकिंग लोन देना व लेना
2. मैनेजर नूरआलम रिजवी पुत्र आशमोहम्मद व रूकसाना खातून पत्नी नूरआलम रिजवी का कार्य भूमि को खरीद फरोख्त व लोन लेना व देना।
3. ट्रस्ट की जमीन को खरीदने व बेचने का अधिकार रूकसाना पत्नी नूरआलम रिजवी व नूरआलम रिजवी पुत्र आशमोहम्मद का ही होगा और इनके न रहने पर यह अधिकार आफताब अंसारी व आर्यन अंसारी पुत्रगण नूरआलम अंसारी को ही रहेगा।

हस्ताक्षर गवाह

1. स्वेतराज सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, साकिन अहिरौली राजा, पोस्ट तमकुहीराज, तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर। आधार संख्या 3466 1417 4711
मो0नं0-9696200591

2. रामप्रवेश पुत्र रामदत, साकिन बिहार बुजुर्ग, पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज,

आवेदन सं०: 202500958607151

ख्या 4 जिल्द संख्या 36 के पृष्ठ 361 से 400 तक क्रमांक 36 पर दिनाँक 13/06/2025 को रजिस्ट्रीकृत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वाईदुल्लाह खां प्रभारी
उप निबंधक : तमकुही राज
कुशीनगर
13/06/2025

कार्यालय उप निबंधक
तमकुहीराज जिला-कुशीनगर